



2026:AHC-LKO:20572

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. – 668/2026**

अभय तिवारी

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ के माध्यम से

...विरोधी पक्ष (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सन्त लाल दीक्षित, राकेश कुमार

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया है, और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने एक प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया है; इन दोनों शपथ पत्रों को अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 946/2025, अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109(1), 3(5), 61(2) पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला गोंडा में जमानत प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

4. इसमें यह कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जिसके संबंध में आवेदक दिनांक 29.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, 7-8 अज्ञात व्यक्तियों ने, जो सफारी नामक वाहन पर सवार थे, किसी कहा-सुनी या विवाद के चलते मुखबिर के पुत्र को कुचल दिया।

5. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि मृतक नितिन मिश्रा, मुखबिर शंकर दयाल मिश्रा के पुत्र थे।

6. यह भी कहा गया है कि विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.11.2025 को 23:14 बजे दर्ज, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 946/2025 के रूप में पंजीकृत, अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109(1), 3(5), 61(2) पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला गोंडा के अनुसार, यह घटना दिनांक 26.11.2025 को रात्रि 11:30 बजे घटित हुई थी।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मृतक नितिन मिश्रा और एक अरुण मिश्रा अपराध स्थल पर उपस्थित थे।

8. आगे यह भी बताया गया है कि जाँच के दौरान दिनांक 29.11.2025 को, अर्थात् घटना के लगभग दो दिन बाद, अरुण मिश्रा का बयान, जो कथित तौर पर घायल साक्षी है, जाँच अधिकारी (संक्षेप में 'आईओ') द्वारा दर्ज किया गया था। अरुण मिश्रा के बयान की टाइप की हुई प्रति पेपर-बुक के पृष्ठ-30 पर अनुलग्नक 4 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है, और उसके अवलोकन से पता चलता है कि एक तरफ मृतक नितिन मिश्रा और दूसरी तरफ अतुल पांडे, वैभव दुबे और अभय पंडित के बीच तीखी बहस/कहा-सुनी हुई थी। इस बयान से यह भी पता चलता है कि घटना से पहले, आवेदक सहित सभी व्यक्तियों ने जिला गौंडा के सूरज होटल में पार्टी की थी। बयान से यह भी पता चलता है कि आवेदक गाड़ी चला रहा था और इसलिए, आवेदक ने ही मृतक को कुचला था, जो वास्तव में सत्य नहीं है।

9. उपरोक्त के क्रम में, यह कहा गया है कि वास्तव में, यदि कोई अपराध हुआ है, तो वह अतुल पांडे या वैभव दुबे या अभय पंडित द्वारा किया गया था।

10. यह भी कहा गया है कि वाद के तथ्यों से पता चलता है कि वास्तव में अरुण मिश्रा न तो अभियोजन पक्ष की कहानी का घायल साक्षी है और न ही वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है।

11. आगे यह भी कहा गया है कि आरोप-पत्र संख्या 1, दिनांक 10.02.2026 के अवलोकन से जिसे दिनांक 20.03.2026 के पूरक शपथ-पत्र के साथ एस.ए.-1 के रूप में दाखिल किया गया है, पता चलता है कि अरुण मिश्रा न तो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और न ही घायल साक्षी।

12. आरोप-पत्र से पता चलता है कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अब्दुल खालिद का बेटा मोहम्मद उमर है।

13. यह कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक आकस्मिक दुर्घटना का मामला है और आवेदक तथा सह-अभियुक्त के विरुद्ध एक मनगढ़ंत कहानी रची गई है; और मामले के इस पहलू का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, मृतक के माता-पिता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 164 के अंतर्गत, दिनांक 22.01.2026 को एक दावा याचिका सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है।

14. आगे यह भी कहा गया है कि आरोपपत्र के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि आरोप-पत्र के साथ, अरुण मिश्रा की चोट की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि वह अभियोजन पक्ष का घायल साक्षी या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है।

15. आगे यह भी कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक के विरुद्ध अभियोजन का वाद बिना किसी संदेह के सिद्ध हो जाता है, तो यह वाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के अंतर्गत आएगा, जो धारा 304(ए) (जो अब निरस्त हो चुकी है) के समान है।

16. इन परिस्थितियों में, आवेदक, जो दिनांक 29.11.2025 से जेल में निरूद्ध है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा, और अभियोजन पक्ष के साक्षियों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

17. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, तथा आवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों जिनमें आरोप पत्र भी शामिल है, जिसमें अरुण मिश्रा को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी या घायल साक्षी के रूप में नहीं दिखाया गया है की सामग्री को देखने के बाद, साथ ही जेल में बिताई गई अवधि, विवाद की प्रकृति, निकट भविष्य में विचारण समाप्त होने की संभावना, और दावा याचिका दाखिल किए जाने से संबंधित तथ्य पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष में जाए बिना यह न्यायालय इस मत का है कि इस आवेदन में सार है, और तदनुसार इसे **स्वीकार** किया जाता है।

18. आवेदक- **अभय तिवारी** को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में, 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा धमकाएगा नहीं।

(iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

(vii) आवेदक साक्ष्यों के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।



(viii) आवेदक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तिथियों पर, स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

19. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

20. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

20 मार्च, 2026

आरती/-